

बैनामा

किस्म दस्तावेज	—	बैनामा
भूमि का प्रकार	—	आवासीय फ्लैट
वार्ड परगना	—	तहसील सदर आगरा।
मौहल्ला/ग्राम	—	डायमण्ड हिल अपार्टमेन्ट, मौजा चमरौली, तहसील व जिला आगरा।
मापन की इकाई	—	वर्गमीटर
सम्पत्ति का विवरण	—	जो कि एक किता फ्लैट नं० प्रथम तल कवर्ड क्षेत्रफल वर्गमीटर जो कि खसरा नम्बरी 11 अ पर निर्मित मल्टीस्टोरी में प्रथम तल पर स्थित है जिसमें कुल कवर्ड एरिया जो कि साथ संलग्न नक्शे में लाल रंग से जाहिर है।
अन्य विवरण	—	उपरोक्त फ्लैट मजकूर की मल्टीस्टोरी का आगरा विकास प्राधिकरण आगरा से नक्शा स्वीकृत है।
प्रतिफल की धनराशि	—	 रुपया
सरकारी कीमत	—	 रुपया
स्टाम्प	—	 रुपया
सर्किल रेट	—	 रुपया प्रति वर्गमीटर नव निर्मित 100 फुट ए०डी०ए० रोड़ पर स्थित है।
कवर्ड रेट	—	रुपया प्रति वर्गमीटर
भूमि का अभिभाजित अंश	—	 वर्गमीटर
भूमि का कुल क्षेत्रफल	—	 वर्गमीटर
कुल कवर्ड एरिया	—	 वर्गमीटर
फ्लैट का कवर्ड एरिया	—	 वर्गमीटर

चौहददी

पूरब	—	
पश्चिम	—	
उत्तर	—	
दक्षिण	—	

प्रथम पक्ष की संख्या—1

ओमकार इन्फ्राप्रमोटर्स प्रा०लि० पंजीकृत कार्यालय—5, स्वामीनगर कॉलोनी, उखर्वा, शमशाबाद रोड़, आगरा द्वारा निदेशक राकेश कुमार पुत्र श्री ज्वाला प्रसाद निवासी—47, कावेरी विहार फेस—2, शमशाबाद रोड़, आगरा।

पैन नं० —

मो० नं०

द्वितीय पक्ष की संख्या— 1

.....
.....

विलेख:-

विदित् हो कि उक्त प्लॉट को प्रथम पक्ष ने बजरिये बैनामा नबिस्ता श्रीमती संगीता महाजन पत्नी श्री जवाहर महाजन निवासी—9, न्यू सुभाष नगर, बाई पास रोड़, आगरा व श्रीमती लज्जा रानी पत्नी श्री छीतरमल निवासी— सिंडीकेट बैंक, नरीपुरा, आगरा व कु० श्वेता महाजन पुत्री श्री जवाहर महाजन निवासी—9, न्यू सुभाष नगर, बाई पास रोड़, आगरा व अंकुर महाजन पुत्र श्री जवाहर महाजन निवासी—9, न्यू सुभाष नगर, बाई पास रोड़, आगरा से दिनांक 13.08.2012 ई० वही नं० एक जिल्द नं० 2456 के सफा 103/204 नं० 5190 पर कार्यालय श्रीमान् सब-रजिस्टार, आगरा पर दर्ज हुई है के खरीद किया इस प्रकार प्रथम पक्ष ने उक्त प्लॉट का डायमण्ड हिल मल्टीस्टोरी के नाम से आगरा विकास प्राधिकरण आगरा से नक्शा स्वीकृत कराया तथा मल्टीस्टोरी तामीर करायी। इस प्रकार उक्त मल्टीस्टोरी में स्थित उक्त प्लैट मजकूर का तनहा मालिक काबिज व दखील चला आता है। सिवाय प्रथम पक्ष के दीगर हकदार व हिस्सेदार किसी किस्म का नहीं है। जो कि मानें

किसी प्रकार के इंतकाल वगैरह का होवे। फ्लैट मजकूर आज तक हर प्रकार के वार व भात व किफालत से कतई पाक व साफ है। कहीं पर रहन व बैय हिवा व जेर जमानत व जेर कुकी व मकफूल हुक्म नीलाम आदि नहीं है और न किसी दीगर व्यक्ति से तहरीरी व जुवानी इकरारनामा आदि किया है, वरन् हरतौर पर पाक व साफ है। अगर खिलाफ इसके कुछ जाहिर या साबित हो तो जुमला नतायज कानूनी का जिम्मेदार प्रथम पक्ष होगा। फ्लैट मजकूर को वास्ते जरूरत खुद की व मिलने कीमत माकूल के विक्रय करना स्वीकार है। अतः खूब सोच व समझकर पूर्ण स्वेच्छा व चैतन्यतः के साथ न खाये, पीये किसी नशीली वस्तु के बिला बहकाये व सिखाये व बिला किसी दबाव नाजायज के फ्लैट मजकूर को मय जुमला हक हकूक व कुल शै के व एवज मुवलिग रुपया जिनके आधे मुवलिग रुपया होते हैं में बदस्त क्रेता द्वितीय पक्ष के बै कतई किया और बेच दिया।

कीमत का कुल रुपया प्रथम पक्ष ने द्वितीय पक्ष से इस तरह प्राप्त किया कि मुवलिग के प्राप्त कर लिये है। अब द्वितीय पक्ष से कुछ लेना बाकी नहीं रहा है और न आइन्दा होगा। लिहाजा कब्जा व दखल फ्लैट मजकूर पर क्रेता का करा दिया है व मालिक मुस्तकिल बना दिया है। अब द्वितीय पक्ष को अधिकार है कि वह फ्लैट मजकूर से वहैसियत मालिक चाहे जैसे लाभान्वित होवे व फायदा उठावे व रहन व वैयवगैरा जो चाहे सो करे प्रथम पक्ष को कोई उजर न होगा। क्रेता द्वितीय पक्ष अपने नाम का नामांकन बजरिये बैनामा खाजा दर्ज करा ले फ्लैट मजकूर की सभी दीवारे शामिल आती है। जिनमें द्वितीय पक्ष कोई तोड़फोड़ व रद्दोबदल नहीं करेगा तथा द्वितीय पक्ष उक्त अपार्टमेन्ट के सभी फ्लैट मालिकों के साथ मिलकर अपनी एक समिति गठन करेंगे तथा उक्त अपार्टमेन्ट की सभी जिम्मेदारी दैवीय आपदा, प्राकृतिक आपदा, भूकम्प आग बुझाने के उपकरण सुरक्षा गार्ड, सफाई व्यवस्था, लिफ्ट समर्सिबल, अपार्टमेन्ट मेन्टीनेन्स, विद्युत बिल आदि की समस्त जिम्मेदारी समिति व समिति के सदस्यों की होगी। यदि फ्लैट में खरीददार स्वयं या किरायेदार रहता है या किसी कारणवश खाली रहता है तो किसी भी दशा में समिति के पैसे अदा करने होंगे इससे प्रथम पक्ष को कोई सम्बन्ध व सरोकार नहीं है और न होगा।

लिहाजा यह बैनामा लिख दिया है कि सनद् रहे और समय पर काम आवे तहरीरी आज दिनांक तहसील सदर, जिला आगरा पर की गई।